[23/3/2022]

परिशिष्ट - "V.S.-08-4049"

प्रश्न सं. [क्र. 4049]

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/ शिक्षा/ /2019/8045 श्योपुर दिनांक 22-10-19

प्रति,

प्रमुख सचिव

चिकित्सा शिक्षा

म.प्र. शासन भोपाल

विषय :– श्योपुर जिले मे मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

——0000——

विषयांकित संबंध मे भारत सरकार की जिला चिकित्सालय (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) की उन्ययन एंव मेडिकल कॅलेज की स्थापना हेतु प्रस्ताव के अनुरूप चाही गई 25 एकड भूमि तहसील मुख्यालय श्योपुर मे आरक्षित की गई है जिसका खसरा नंबर 622 मिन–1 रकवा 31.235 हेक्टर मे से 25 एकड (10.100 एकड) ग्राम नागदा तहसील व जिला श्योपुर मे चिकित्सा महाविधालय हेतु आरक्षित है। जिसके आवंटन की प्रकिया प्रारंभ की जा चुकी है जो की न्यायालय कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 49/अ-19(3) दिनांक 10.10.19 द्वारा दर्ज की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर को भेजी गई है।

संलग्न :– आर्डरशीट की छायाप्रति

कलेक्टर

जिला श्योपुर (म.प्र.)

(विजय देव शर्मा)

कनिष्ठ लेखाधिकारी

न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

प्रकरण कमांक / 49 / 2019–20 / अ–19(3) / 8976 श्योपुर दिनांक 23.10.2019

आदेश

तहसीलदार तहसील श्योपुर जिला श्योपुर ने प्रतिवेदित किया है कि शासन के मंशा के अनुरुप जिला श्योपुर में तत्काल मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। जिसके लिए ग्राम नागदा की भूमि सर्वे कमांक 622 मिन–1 रकवा 31.235 हेक्टेयर वर्तमान खसरा अभिलेख में नोईयत चरनोई रकवा 28.570 हेक्टेयर तथा आबादी रकवा 2.665 हेक्टेयर शासकीय दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं है तथा भूमि अतिकमण मुक्त होकर आवंटन हेतु उपयुक्त होना प्रतिवेदित किया है। ग्राम पंचायत नागदा के प्रस्ताव ठहराव कमांक 08 दिनांक 02.10.2019 द्वारा मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु भूमि सर्वे कमांक 622 मिन–1 में से भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गयी है। जिसमें पूर्व में इश्तहार जारी किया गया, जिसमें अवधि म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तहसीलदार तहसील श्योपुर ने प्रस्तवित भूमि आवंटित किया जाना उचित बताया हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर ने तहसीलदार तहसील श्योपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुऐ भूमि आवंटन की अनुशंसा की हैं।

तहसीलदार तहसील श्योपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर जिला श्योपुर के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम नागदा तहसील श्योपुर की भूमि सर्वे कमांक 622 मिन–1 रकवा 31.235 हेक्टेयर में से रकवा 10.100 हेक्टेयर भूमि म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु आवंटित की जाती है। तदनुसार शासकीय खसरा अभिलेख में अमल किया जावें।

(न्यायालय कलेक्टर श्योपुर (म.प्र.))

23.10.19
(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृष्ठां. प्रकरण क्रमांक / 49 / 2019–20 / अ–19 (3) / 8977 श्योपुर दिनांक 23.10.2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला श्योपुर ।
5. तहसीलदार तहसील श्योपुर की ओर पालनार्थ।
6. अधीक्षक भू–अभिलेख जिला श्योपुर ।

(विजय देव शर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)